

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवार्थ निदेशालय)
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय सुगौली

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 32

दिनांक 30-01-15

चयन पत्र

- श्रीमती मीना देवी पति रामानन्द पासवान जो ग्राम सुगौली (पंचायत क्षीरी सुगौली) पो० सुगौली की स्थायी निवासी है, का आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/टोला/मुहल्ला क्षीरी सुगौली के आँगनवाड़ी केन्द्र (कोड सहित) 15 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 28-01-2015 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।
- आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा विधित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आँगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के पद के लिए अधिकतम षष्ठ मास नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
- सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।
- यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी संस्था के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किन्हे गये कार्य का बाका सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

सुगौली, पूर्वी चम्पारण

30/1/15

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(सेविक्का/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय सुगौली

जिला पूर्वी चम्पारण

ज्ञाप सं० 33

दिनांक 30-01-15

चयन पत्र

1. श्रीमती शोबनम प्रवीण पति सरशाह दुसेन जो ग्राम नगर पंचायत सुगौली पो सुगौली की स्थायी निवासी है, का आँगनवाड़ी सेविक्का/सहायिका के रूप में ग्राम/घोला/मुहल्ला नगर पंचायत के आँगनवाड़ी केन्द्र (कोड सहित) 176 के सेवा क्षेत्र के लिए दिनांक 28-01-15 को आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन किया जाता है।

2. आपका चयन सेविक्का/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी आँगनवाड़ी केन्द्र पर सेविक्का/सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।

3. सेविक्का/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा रहा है।

4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

इस का मूल प्रतिपात्री
शोबनम प्रवीण सेविक्का ?
30/1/2015

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

सुगौली, पूर्वी चम्पारण

30/1/15